छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 1173/2008

1. सुश्री एल0 विश्वास, — *अपीलार्थी*
कालीबाड़ी स्कूल के पीछे,
वृंदावन कालोनी, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 04 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी सुश्री एल0 विश्वास द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जगदलपुर के समक्ष दिनांक 01.03.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर उन्हें अपूर्ण जानकारी प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 24.07. 2008 को अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2008 को आदेश पारित किया गया, किन्तु उस आदेश से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 11.11.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण की सुनवाई विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई और संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि अब विलंब से उन्हें पूर्ण जानकारी मिल गई है, अतः शुल्क की सूचना देर से देने के कारण जमा शुल्क राशि 200/— रूपये अपीलार्थी को लौटाने के निर्देश जन सूचना अधिकारी को दिये गये, यदि यह राशि अब तक लौटाई नहीं गई है तो एक सप्ताह में लौटाई जावे । प्रकरण में मुख्य अभियंता द्वारा यह बताया गया कि पूर्व में रिकार्ड गलने के संबंध में जो त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई है, वह श्री एस0आई कादरी, सहायक ग्रेड—1 के द्वारा दी गई थी, अतः त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए श्री कादरी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 24.02.2009 को भेजा गया । उत्तर एवं तर्कों में श्री कादरी ने बताया कि जानकारी बनाने के लिए रिकार्ड ढुंढा गया और कुछ फाईलें गली हुई मिली तथा संबंधित फाईल उस समय नहीं मिली थी और श्री आर0के0 पाल, सहायक ग्रेड—2 के द्वारा जानकारी तैयार कर परिक्षेत्र अधीक्षक एवं मुख्य अभियंता को बताकर यह जानकारी दी गई है । इसके अलावा कार्यालय भवन स्थानांतरण हो जाने के कारण यह फाईल नहीं मिल सकी थी और त्रुटिपूर्ण जानकारी के पीछे कोई द्वेश भावना नहीं थी और वे एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, अतः उन पर शास्ति नहीं लगाई जावे तथा उनकी सेवाकाल में पहले कोई त्रुटि नहीं हुई है । चूंकि श्री कादरी को अकेले दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है, अतः इस प्रकरण में शास्ति की कार्यवाही आवश्यक प्रतीत नहीं होती है और इनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है, इसलिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, क्योंकि उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी । प्रकरण में चूंकि श्री आर0के0 पाल, सहायक ग्रेड—2 सेवानिवृत्त हो गये हैं, अतः श्री कमल सेन, परिक्षेत्र अधीक्षक एवं श्री एस0आई कादरी के

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा मुख्य अभियंता, जगदलपुर को की जाती है, ताकि भविष्य में अधिक सर्तकतापूर्वक कार्य कर सके । साथ ही प्रकरण में त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com